बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास)

अधिसूचना

संख्या– गव्य (न0–06)02/2024/.....851...../ दिनांकः–20/06/2025

भारतीय–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के "बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013" (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ– (1) यह नियमावली "बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जाएगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 5 उप नियम (3) का प्रतिस्थापन।–**

उक्त नियमावली का नियम 5 उप नियम (3) निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(3) (i) इस संवर्ग की मूल कोटि के सभी पदों पर सीधी भर्त्ती आयोग की अनुशंसा से की जाएगी।"

(ii) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नवत् लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के अंकों के योगफल के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(क) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक – 75 अंक

नोट :– परीक्षा के आधार पर प्राप्त अधिमानता अंक का निर्धारण परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर किया जाएगा।

(ख) कार्यानुभव प्राप्तांक – 25 अंक

नोट :– 1. बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य में अवस्थित गैर–निजी (केन्द्र सरकार, नगर निकाय, प्राधिकार आदि) संस्थानों में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गए कार्य अवधि के लिए कार्यानुभव अंक दिया जाएगा।

2. प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंकों की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा।

कुल – 100 अंक

(ग) संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। एतदर्थ किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अंकों की अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा, जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो।

(iii) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

3. **बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"**9. परिवीक्षा अवधि एवं सम्पुष्टि।**– (1) (i) संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ii) परिवीक्षा अवधि में समय–समय पर यथानिर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं यथानिर्धारित अन्य अहर्त्ताएँ पूरा करना आवश्यक होगा। साथ ही केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iii) विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

(2) संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सेवा सम्पुष्टि हेतु यथानिर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना तथा परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहना अनिवार्य होगा।

4. **बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित) के साथ संलग्न अनुसूची का संशोधन।** –

"बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) के साथ संलग्न अनुसूची उक्त हद तक संशोधित समझा जाएगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/6/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– गव्य (न0–06)02/2024/....................../ पटना, दिनांकः– / /2025

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाए।

19/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– गव्य (न0–06)02/2024/....................../ पटना, दिनांकः– / /2025

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना/राज्य अभिलेखागार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/लोकायुक्त कार्यालय, पटना/सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य)/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी/गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/6/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– गव्य (न0–06)02/2024/....................../ पटना, दिनांकः– / /2025

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

19/6/25

सरकार के अपर सचिव